न्यायालय, विनय शंकर, अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल
जमानत आवेदन संख्या– 168 / 2026
पिंटू यादव उर्फ पंकज कुमार बनाम् बिहार राज्य

07 / 04 / 2026:–

प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त पिंटू यादव उर्फ पंकज कुमार की ओर से दाखिल किया गया है जो निर्मली थाना कांड संख्या 151 / 2025 अंतर्गत धारा 25(1–बी)ए,26,35 शस्त्र अधिनियम के तहत् दिनांक– 01.09.2025 से कारा में संसीमित है तथा यह वाद श्री विकाश कुमार, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, वीरपुर के न्यायालय में लंबित है।

जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश कुमार एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अमर कुमार दास को सुना।

अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदक निर्दोष है एवं उसने कोई अपराधक कारित नहीं किया है। अभियुक्त आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। वर्तमान प्राथमिकी विधि का घोर दुरूपयोग है, क्योंकि यह उसी कथित घटना के लिए दूसरी प्राथमिकी के सामान है, जिसके लिए निर्मली थाना काण्ड संख्या 150 / 2025 दिनांक 31.08.2025 को पहले ही दर्ज किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त को उसी घटना के लिए दूसरी प्राथमिकी एवं अलग अभियोजन का सामना कराना दोहरे दण्ड के विरूद्ध उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक हथियार बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 02.09.2025 को हुई इस कथित दूसरी बरामदगी के समय पहले से ही न्यायिक हिरासत में था। उसकी गिरफ्तारी के दो दिन के बाद सार्वजनिक तालाब से बरामद वस्तु पर उसका कोई नियंत्रण या कब्जा नहीं था। बरामदगी सहअभियुक्त राधे साह के कहने पर की गई थी, न कि आवेदक अभियुक्त के कहने पर। आवेदक अभियुक्त को मूल मामले निर्मली थाना काण्ड संख्या 150 / 2025 में पहले ही जमानत मिल चुकी है और वर्तमान मामले में जॉच मात्र एक पुनरावृर्ति है, इसलिए निर्मली थाना काण्ड संख्या 151 / 2025 में निरंतर हिरासत किसी भी कानूनी या जॉच सम्बंधित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। अभियुक्त आवेदक प्रस्तुत वाद में दिनांक 01.09.2025 से कारा में संसीमित है और वह स्वच्छ जमानतदार देने के लिए तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

अभियुक्त आवेदक, सूचक निहाल कुमार, पु0अ0नि0 निर्मली थाना के टंकित आवेदक के आधार पर संस्थित निर्मली थाना कांड संख्या 151 / 2025 अंतर्गत धारा 25(1–बी)ए,26,35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। टंकित आवेदन में आरोप है कि सूचक निर्मली थाना काण्ड संख्या 150 / 2025 दिनांक 31 / 08 / 2025 अन्तर्गत धारा 25(1–बी)ए,26,35 शस्त्र अधिनियम का अनुसंधानकर्ता है। इस काण्ड के अनुसंधान में सूचक थाना के सशस्त्र बल तथा वाहन से इस काण्ड के घटनास्थल बेला में दिनांक 02.09.2025 को समय करीब 08:30 बजे पहुॅचा। इस काण्ड के वादी एवं साक्षियों के बयान, अभियुक्तों के सफाई बयान एवं आवेदक अभियुक्त पिंटू यादव उर्फ पंकज कुमार

के स्वीकारोक्ति बयान तथा अनुसंधान से पता चला कि प्राथमिकी सहअभियुक्त राधे साह के द्वारा एक देशी पिस्तौल को पोखर(जलकुम्भी) में कहीं छिपा कर रखा गया है। घटनास्थल के पास पुलिस की कारवाई को देखकर कई स्थानीय व्यक्ति सड़क किनारे खड़े होकर देख रहे थे। उक्त देख रहे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मोहम्मद रिजमान को पोखर में घुसकर आर्म्स खोजने हेतु अनुरोध किया। किये गये अनुरोध पर वह आर्म्स खोजने को तैयार हो गये। तत्पश्चात् उपस्थित व्यक्ति मो0 मुस्तुफा एवं प्रहलाद को साक्षी बनाते हुए उपस्थित पुलिस टीम एवं अपना तथा मोहम्मद रिजमान के शरीर का जमा तलाशी दिया, तलाशी में कोई आपत्तिजनक सामान/आर्म्स बरामद नहीं हुआ। तत्पश्चात् स्थानीय व्यक्ति रिजमान एवं उपस्थित पुलिस टीम द्वारा पोखर(जलकुम्भी) में पुनः आर्म्स का तलाशी लिया गया। तलाशी के दौरान दिनांक 02.09.2025 को समय करीब 11:50 बजे पोखर से एक देशी पिस्तौल जिसे मो0 रिजमान ने पानी से बाहर निकाला तथा उपस्थित व्यक्ति विजय कुमार एवं मो0 मुस्तुफा को साक्षी बनाते हुए विधिवत् जब्त किया तथा जब्ती सूची पर दोनों साक्षियों ने स्वेच्छापूर्वक अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिया तथा वरीय पदाधिकारी को बरामद आर्म्स/देशी पिस्तौल के बारे में सूचना दिया।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद(निर्मली थाना कांड संख्या 151/2025) निर्मली थाना काण्ड संख्या 150/2025 में ही हुई बरामदगी को लेकर ही दर्ज करायी गयी है तथा आवेदक अभियुक्त को निर्मली थाना काण्ड संख्या 150/2025 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2026 को ही जमानत पर मुक्त करने का आदेश पारित किया जा चुका है। बरामदगी सहअभियुक्त राधे साह के कहने पर की गई थी, न कि आवेदक अभियुक्त के कहने पर। प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि वह प्रस्तुत वाद के बरामदगी के समय न्यायिक हिरासत में था। अभियुक्त आवेदक प्रस्तुत वाद में दिनांक 01.09.2025 से कारा में संसीमित है।

उपरोक्त तथ्यो, परिस्थितियों एवं अभियुक्त आवेदक द्वारा कारा में बितायी गयी अवधि को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदक **स्वीकृत** की जाती है। अभियुक्त आवेदक को निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 रूपये के एवं समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः–

1. अभियुक्त आवेदक बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह प्रस्तुत वाद किसी भी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा तथा वाद के विचारण में सहयोग करेगा।

लेखापित

(विनय शंकर)
अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय,
सुपौल